न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— सुखराम खोखर
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
87 / 2015 / प्रा.पत्र / 2015	06.10.2015	20.02.2020

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1—श्री सत्यनारायण शर्मा पुत्र रामस्वरूप जी एफ.बी.ओ. मैसर्स भारत ट्रैडिग कम्पनी बस स्टैण्ड परिसर मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी बसन्त कॉलोनी बृजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक
2— मैसर्स भारत ट्रैडिग कम्पनी बस स्टैण्ड परिसर मालपुरा जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित:—

1—प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2—अप्रार्थीगण उपस्थित

:—निर्णय—: दिनांक 20.02.2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.07.2015 को समय 4.02 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स भारत ट्रैडिग कम्पनी बस स्टैण्ड परिसर मालपुरा जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. की हैसियत से श्री सत्यनारायण शर्मा पुत्र रामस्वरूप जी एफ.बी.ओ. मैसर्स भारत ट्रैडिग कम्पनी बस स्टैण्ड परिसर मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी बसन्त कॉलोनी बृजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **चाय भारत गोल्ड मूल पैक** (Tea Bharat Gold Original Pack) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री सत्यनारायण शर्मा को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

1017

Scanned by CamScanner

की जिस पर विक्रेता सत्यनारायण शर्मा एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 500–500 ग्राम के 20 नग **चाय भारत गोल्ड मूल पैक (Tea Bharat Gold Original Pack)** रखे हुये मे से 500–500 ग्राम के 4 नग साफ प्रिन्टेड (पोली पैक कुल मात्रा 2.00 किलोग्राम) वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री सत्यनारायण शर्मा को रू0 440/–अक्षरे चार सौ चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **चाय भारत गोल्ड मूल पैक (Tea Bharat Gold Original Pack)** 2.00 किलोग्राम को 500–500 ग्राम चार जगह अलग–अलग बाट मापक से तुलवाकर अलग–अलग साफ व सूखी पोलीथीन मे रखकर प्रत्येक पोलीथीन को नियमानुसार एयर टाईट बंद कर चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे रखा एंव प्रत्येक डिब्बो को एयर टाइट बंद कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1065 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1065 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. सत्यनारायण शर्मा के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/3142 दिनांक 04.09.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/520/एक्ट/2015/520 दिनांक 06.08.2015 अनुसार सत्यनारायण शर्मा से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया चाय **भारत गोल्ड मूल पैक (Tea Bharat Gold Original Pack)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-branded)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का **चाय भारत गोल्ड मूल पैक (Tea Bharat Gold Original Pack)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **चाय भारत गोल्ड मूल पैक** (Tea Bharat Gold Original Pack) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **चाय भारत गोल्ड मूल पैक** (Tea Bharat Gold Original Pack) का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 अप्रार्थी श्री सत्यनारायण शर्मा पुत्र रामस्वरूप जी एफ.बी.ओ. मैसर्स भारत ट्रैडिग कम्पनी बस स्टैण्ड परिसर मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी बसन्त कॉलोनी बृजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.02.2020 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक राज0

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.07.07 13:37:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: